

## उत्तराखण्ड शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या—1800/xxx1(15)G/25-74(सा०) / 2016

देहरादून: दिनांक 24 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आडर्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को वर्ष 2026 ई० (शक् संवत् 1947-48) के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं—

वर्ष 2026 अर्थात् शक् संवत् 1947-48 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची

अनुसूची-1

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक् संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	06 माघ, 1947	सोमवार
2	महाशिव रात्रि	15 फरवरी, 2026	26 माघ, 1947	रविवार
3	होलिका दहन	03 मार्च, 2026	12 फाल्गुन, 1947	मंगलवार
4	होली	04 मार्च, 2026	13 फाल्गुन, 1947	बुधवार
5	*ईद-उल-फितर	21 मार्च, 2026	30 फाल्गुन, 1947	शनिवार
6	राम नवमी	26 मार्च, 2026	05 चैत्र, 1948	बृहस्पतिवार
7	महावीर जयन्ती	31 मार्च, 2026	10 चैत्र, 1948	मंगलवार
8	गुड फाईडे	03 अप्रैल, 2026	13 चैत्र, 1948	शुक्रवार
9	डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	01 मई, 2026	11 वैशाख, 1948	शुक्रवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	27 मई, 2026	06 ज्येष्ठ, 1948	बुधवार
12	*मोहर्स्म	26 जून, 2026	05 आषाढ़, 1948	शुक्रवार
13	हरेला	16 जुलाई, 2026	25 आषाढ़, 1948	बृहस्पतिवार
14	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	24 श्रावण, 1948	शनिवार
15	* ईद ए मिलाद / मिलाद—उन—नवी बारावफात	26 अगस्त, 2026	04 भाद्रपद, 1948	बुधवार
16	रक्षा बन्धन	28 अगस्त, 2026	06 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
17	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	13 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
18	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2026	10 आश्विन, 1948	शुक्रवार
19	दशहरा (विजयदशमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
20	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	26 अक्टूबर, 2026	04 कार्तिक, 1948	सोमवार
21	दीपावली	08 नवम्बर, 2026	17 कार्तिक, 1948	रविवार
22	दीपावली (गोबर्द्धन पूजा)	10 नवम्बर, 2026	19 कार्तिक, 1948	मंगलवार
23	ईगास—बग्वाल	20 नवम्बर, 2026	29 कार्तिक, 1948	शुक्रवार
24	गुरु नानक जयन्ती	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार
25	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	04 पौष, 1948	शुक्रवार

2— उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरूप अनुसूची-2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू नहीं होंगे अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमत्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

3— श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट अवकाशों को भी वर्ष 2026 (शक संवत् 1947-48) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

### अनुसूची-2

—2

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	चेटीचन्द	19 मार्च, 2026	28 फाल्गुन, 1947	बृहस्पतिवार
2	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर, 2026	26 भाद्रपद, 1948	बृहस्पतिवार
3	गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार

4— मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुटियाँ जिनकी संख्या 03 (तीन) से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगे।

• \*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

• अनुसूची-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार में लागू नहीं होंगे।

• बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागू होंगे, जो कि अनुसूची-4 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

5— प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुटियों में से किन्हीं

दो छुट्टियों को, जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी:-

निर्बन्धित अवकाशों की सूची

अनुसूची-3

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2026	11 पौष, 1947	बृहस्पतिवार
2	मकर संकान्ति	14 जनवरी, 2026	24 पौष, 1947	बुधवार
3	बर्संत पंचमी	23 जनवरी, 2026	03 माघ, 1947	शुक्रवार
4	गुरु रविदास जयंती	01 फरवरी, 2026	12 माघ, 1947	रविवार
5	*शब-ए-बारात	03 फरवरी, 2026	14 माघ, 1947	मंगलवार
6	*जमात-उल-विदा	13 मार्च, 2026	11 फाल्गुन, 1947	शुक्रवार
7	ईस्टर मन्डे	06 अप्रैल, 2026	16 चैत्र, 1948	सोमवार
8	वैशाखी	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
9	वीर केशरीचन्द्र शहीद दिवस	03 मई, 2026	13 वैशाख, 1948	रविवार
10	*चैहल्लुम	04 अगस्त, 2026	13 श्रावण, 1948	मंगलवार
11	अनन्त चतुर्दशी	25 सितम्बर, 2026	03 आश्विन, 1948	शुक्रवार
12	महाराजा अग्रसेन जयंती	11 अक्टूबर, 2026	19 आश्विन, 1948	रविवार
13	दशहरा (महानवमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
14	दीपावली (नरक चतुर्दशी)	07 नवम्बर, 2026	16 कार्तिक, 1948	शनिवार
15	भैयादूज	11 नवम्बर, 2026	20 कार्तिक, 1948	बुधवार
16	छठ पूजा	15 नवम्बर, 2026	24 कार्तिक, 1948	रविवार
17	किसमस (पूर्व संध्या)	24 दिसम्बर, 2026	03 पौष, 1948	बृहस्पतिवार

\* यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश

6— निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2026 ई0 (शक् संवत् 1947-48) के वर्ष में समर्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं—

अनुसूची-4

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	06 माघ, 1947	सोमवार
2	महाशिव रात्रि	15 फरवरी, 2026	26 माघ, 1947	रविवार
3	होलिका दहन	03 मार्च, 2026	12 फाल्गुन, 1947	मंगलवार
4	होली	04 मार्च, 2026	13 फाल्गुन, 1947	बुधवार
5	*ईद-उल-फितर	21 मार्च, 2026	30 फाल्गुन, 1947	शनिवार
6	राम नवमी	26 मार्च, 2026	05 चैत्र, 1948	बृहस्पतिवार
7	वाणिज्यक बैंकों की वार्षिक लेखा बन्दी	01 अप्रैल, 2026	11 चैत्र, 1948	बुधवार
8	गुड फाईडे	03 अप्रैल, 2026	13 चैत्र, 1948	शुक्रवार
9	डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2026	24 चैत्र, 1948	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	01 मई, 2026	11 वैशाख, 1948	शुक्रवार
11	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	27 मई, 2026	06 ज्येष्ठ, 1948	बुधवार
12	हरेला	16 जुलाई, 2026	25 आषाढ़, 1948	बृहस्पतिवार
13	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	24 श्रावण, 1948	शनिवार
14	* ईद ए मिलाद / मिलाद -उन-नबी बारावफात	26 अगस्त, 2026	04 भाद्रपद, 1948	बुधवार
15	रक्षा बन्धन	28 अगस्त, 2026	06 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
16	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	13 भाद्रपद, 1948	शुक्रवार
17	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2026	10 आश्विन, 1948	शुक्रवार
18	दशहरा (विजयदशमी)	20 अक्टूबर, 2026	28 आश्विन, 1948	मंगलवार
19	दीपावली	08 नवम्बर, 2026	17 कार्तिक, 1948	रविवार
20	दीपावली (गोबर्द्धन पूजा)	10 नवम्बर, 2026	19 कार्तिक, 1948	मंगलवार
21	ईगास-बग्गाल	20 नवम्बर, 2026	29 कार्तिक, 1948	शुक्रवार
22	गुरु नानक जयन्ती	24 नवम्बर, 2026	03 मार्गशीर्ष, 1948	मंगलवार
23	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	04 पौष, 1948	शुक्रवार

\*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

उपरोक्त अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होंगे।

Digitally signed by  
Vinod Kumar Suman  
Date: 24-12-2025  
18:00:21

(विनोद कुमार सुमन)  
सचिव

संख्या/1809 xxxi(15)G/25-74(सा0) / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
9. समस्त भण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 150 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)  
सचिव